रजिस्ट्री सं. डी एल.-33004/92 REGD. NO. D.L.-33004/92

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 781] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 10, 1992/अग्रहायण 19, 1914
No. 781] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 10, 1992/AGRAHAYANA 19, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर, 1992

का. आ. 898(अ):—जमात-ए-इस्लामी हिन्द के (जिसे इसमें इसके पश्चात् जे. ई. आई. एच. कहा गया है)। अमीर श्री सिराजुलहसन ने 27 मई, 1990 को दिल्ली में आयोजित एक सभा में यह घोषणा की थी कि भारत से कश्मीर का अलग होना अवश्यम्भावी है ;

और जे ई आई एच के नायब अमीर श्री अब्दुल अजीज ने 1 अगस्त, 1991 को मालेरकोटला में एक सभा को सम्बोधित करते हुए यह कहा था कि भारत सरकार को कश्मीर पर जनमत संग्रह कराना चाहिए ;

और जे. ई. आई एच. भारत की प्रभुता और प्रादेशिक अखंडता का अनु-अंगीकरण और उस पर आक्षेप कर रहा है ;

और केन्द्रीय सरकार की पूर्ववर्ती पैराओं में वर्णित सभी या किन्हीं आधारों पर और अन्य सभी तथ्यों और अपने कब्जे में की ऐसी सामग्री के आधार पर जिसे केन्द्रीय सरकार प्रकट करना लोकहित के विरुद्ध समझती है, यह राय है कि जे. ई. आई. एच. एक विधिविरुद्ध संगम है ;

अतः केन्द्रीय सरकार, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए "जमात-ए-इस्लामी हिन्द" को एक विधिविरुद्ध संगम घोषित करती है और उस धारा की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देती है कि यह अधिसूचना, किसी ऐसे आदेश के अधीन रहते हुए जो उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन किया जाएगा, राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगा।

[सं II/14034/2(i)/92-आईएस (डी V)]
टी एन श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th December, 1992

S.O. 898(E).—Whereas Shri Sirajul Hasan, Amir of the Jamaat-e-Islami Hind (hereinafter referred to as JEIH) declared in a meeting at Delhi held on the 27th May, 1990 that the separation of Kashmir from India was inevitable;

And whereas Shri Abdul Aziz, Naib-Amir of JEIH, addressing a meeting at Malerkotla on the 1st August, 1991, observed that the Government of India should hold plebiscite on Kashmir;

And whereas JEIH has been disclaiming and questioning the sovereignty and territorial integrity of India;

And whereas for all or any of the grounds set out in the preceding paragraphs, as also on the basis of other facts, and materials in its possession which the Central Government considers to be against the public interest to disclose, the Central Government is of the opinion that the JEIH is an unlawful association;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby declares the 'Jamaat-e-Islami Hind' to be an unlawful association, and directs, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of that section, that this notification shall, subject to any order that may be made under section 4 of the said Act, have effect from the date of its publication in the Official Gazette.

[No. II/14034/2(i)/92-IS(DV)]
T. N. SRIVASTAVA, Jt Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर, 1992

का. आ. 899(अ):—इस्लामिक सेवक संघ के (जिसे इसमें इसके पश्चात् आई. एस. एस. कहा गया है) अध्यक्ष श्री आई. सी. एस. अब्दुल नजर मदानी विभिन्न समुदायों के बीच, सौहार्द करने या शत्रुता, घृणा या वैमनस्य की भावनाएं, धर्म के आधारों पर, संप्रवर्तित करने की दृष्टि से उत्तेजक भाषण देते रहे हैं;

और श्री आई. सी. एस. अब्दुल नजर मदानी ने 30 जून, 1992 को पूंथरा, जिला तिरुवेंद्रम में एक सार्वजनिक सभा में यह कथन किया था कि कश्मीर में हजारों मुसलमानों को मारा गया था और उनका उत्पीड़न किया गया था तथा प्राधिकारियों ने कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए थे और मुसलमान स्त्रियों के साथ प्राधिकारियों के समर्थन से हिन्दुओं द्वारा बलात्कार किया गया था;

और श्री आई. सी. एस. अब्दुल नजर मदानी ने सार्वजनिक परिचालन के लिए अभिलिखित भाषण में यह कथन किया था कि इस देश में मुसलमान एक मुसलमान के रूप में नहीं रह सकता और मुस्लिम भाइयों को चाहिए कि वे संगठित रूप में रहने के लिए तत्पर रहें और उन्होंने कश्मीर में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लोगों के अधिकार को भी चुनौती दी;

और श्री आई. सी. एस. अब्दुल नजर मदानी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 153क और धारा 153ख के अधीन निम्नलिखित आपराधिक मामले रजिस्टर किए गए हैं :

(क) करुणागप्पल्ली पुलिस थाना (जिला कोल्लम्) धारा 153क के अधीन मामला सं. 109/92, तारीख 20 मार्च, 1992;

(ख) कदक्कल पुलिस थाना (जिला कोल्लम्) धारा 153क के अधीन मामला सं. 117/92, तारीख 28 मार्च, 1992;

(ग) कल्पा पुलिस थाना (जिला कालीकट) धारा 153ख के अधीन मामला सं. 103/92, तारीख 21 मई, 1992;

और आई. एस. एस., विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) के अर्थान्तर्गत विधिविरुद्ध क्रियाकलाप करने के लिए अपने अनुयायियों को प्रोत्साहित और उसमें सहायता करता रहा है;

और केन्द्रीय सरकार की, पूर्ववर्ती पैराओं में वर्णित तथ्यों या किन्हीं आधारों पर और अन्य तथ्यों और अपने कब्जे में की ऐसी सामग्री के आधार पर जिसे केन्द्रीय सरकार प्रकट करना लोकहित के विरुद्ध समझती है, यह राय है कि आई. एस. एस. एक विधिविरुद्ध संगम है;

अतः, केन्द्रीय सरकार, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए "इस्लामिक सेवक संघ" को एक विधिविरुद्ध संगम घोषित करती है और उस धारा की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देती है कि यह अधिसूचना, किसी ऐसे आदेश के अधीन रहते हुए जो उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन किया जाएगा, राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगा।

[सं. II/14034/2(ii)/92-आईएस(डी V)]
टी. एन. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th December, 1992

S.O. 899(E).—Whereas Shri I.C.S. Abdul Nazar Madani, Chairman of the Islamic Sewak Sangh (hereinafter referred to as ISS) had been giving inflammatory speeches with a view to promoting, on grounds of religion, disharmony or feelings of enmity, hatred or ill-will between different communities;

And whereas Shri I.C.S. Abdul Nazar Madani, in a public meeting at Poonthura, District Trivandrum on the 30th June, 1992, has stated that thousands of Muslims were killed and tortured in Kashmir and authorities were not taking effective steps and Muslim women were being raped by Hindus with the support of authorities;

And whereas Shri I.C.S. Abdul Nazar Madani, in a recorded speech for public circulation, has stated that a Muslim cannot live as a Muslim in this country and Muslim brothers should be prepared to get organised as also question the right of the people to hoist national flag in Kashmir;

And whereas the following criminal cases have been registered against Shri I.C.S. Abdul Nazar Madani u/s 153A and 153B of the Indian Penal Code (45 of 1860);

(a) Karunagapally PS (District Kollam) Case No. 109/92 dated 20th March, 1992 u/s 153A;

(b) Kundara PS (District Kollam) Case No. 117/92 dated 28th March, 1992 u/s 153A;

(c) Kasba PS (District Calicut) Case No. 103/92 dated 21st May, 1992 u/s 153B;

And whereas the ISS has been encouraging and aiding its followers to undertake unlawful activities within the meaning of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967);

And whereas for all or any of the grounds set out in the preceding paragraphs, as also on the basis of other facts and materials in its possession which the Central Government considers to be against the public interest to disclose, the Central Government is of the opinion that the ISS is an unlawful association;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby declares the 'Islamic Sewak Sangh' to be an unlawful association, and directs, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of that section, that this notification shall, subject to any order that may be made under section 4 of the said Act, have effect from the date of its publication in the Official Gazette.

[No. II/14034/2/(ii)/92-IS(DV)]

T. N. SRIVASTAVA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर, 1992

का.आ. 900(अ):—विश्व हिन्दू परिषद् के अध्यक्ष श्री विष्णु हरि डालमिया ने 8 नवम्बर, 1992 को दिल्ली में आयोजित एक सभा में यह घोषणा की थी कि राम जन्म भूमि मंदिर का निर्माण उसी प्रकार किया जाएगा जिस प्रकार बाबर ने उसे तोड़ा था और कार सेवक नेतृत्व पर इस बात का दबाव डाल रहे हैं कि उन्हें राम जन्म भूमि मंदिर का निर्माण करने के लिए नहीं अपितु बाबरी मस्जिद का विध्वंस करने के लिए बुलाया जाना चाहिए;

और विश्व हिन्दू परिषद के महासचिव श्री अशोक सिंघल ने 14 नवम्बर, 1992 को बिलासपुर में एक सभा में यह कथन किया था कि यदि मुसलमान तर्क की भाषा नहीं समझेंगे तो उन्हें ताकत की भाषा का सबक सिखा दिया जाएगा;

और विश्व हिन्दू परिषद की गवर्निंग काउन्सिल की सदस्या श्रीमती विजय राजे सिंधिया ने 23 नवम्बर, 1992 को पटना में एक संवाददाता सम्मेलन में यह कथन किया था कि कार सेवा पूर्ण दृढ़ निश्चय के साथ की जाएगी, और आवश्यकता पड़ने पर न्यायालयों के आदेशों सहित सभी निर्बन्धनों का उल्लंघन किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा था कि राम मन्दिर निर्माण एक विश्वास का मामला है और इसे न्यायपालिका की अधिकारिता तक सीमित नहीं रखा जा सकता। उन्होंने यह भी कहा था कि मन्दिर निर्माण हर हालत में होगा और उसके लिए तथाकथित बाबरी मस्जिद का विध्वंस करना होगा;

और विश्व हिन्दू परिषद् के संयुक्त महासचिव आचार्य गिरिराज किशोर ने 28 नवम्बर, 1992 को दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में यह चेतावनी दी थी कि यदि अयोध्या में जीर्णोद्धार के मार्ग में कानूनी लड़ाई और राजनीति आती है तो ऐसी सभी मस्जिदों की बाबत जिनका निर्माण मन्दिरों को तोड़कर किया गया था, सीधी कार्रवाई से भी इंकार नहीं किया जा सकता;

और विश्व हिन्दू परिषद् भी विभिन्न समुदायों के बीच, सद्भाव, एकता, घृणा या वैमनस्य की भावनाएं, धर्म के आधारों पर, संप्रवर्तित करने या संप्रवर्तित करने का प्रयत्न करने के लिए अपने अनुयायियों को प्रोत्साहित और उनकी सहायता करती रही है;

और विश्व हिन्दू परिषद् के अनुयायियों ने 6 दिसम्बर, 1992 को उत्तर प्रदेश राज्य में अयोध्या में स्थित उस ढांचे के, जो सामान्यतः रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद के नाम से जाना जाता है, विध्वंस में भाग लिया था;

और केन्द्रीय सरकार की पूर्ववर्ती पैराओं में वर्णित आधारों पर और अन्य सभी तथ्यों और अपने कब्जे में की ऐसी सामग्री के आधार पर, जिसे केन्द्रीय सरकार प्रकट करना लोकहित के विरुद्ध समझती है, यह राय है कि विश्व हिन्दू परिषद् एक विधिविरुद्ध संगम है।

अतः, केन्द्रीय सरकार, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "विश्व हिन्दू परिषद" को एक विधिविरुद्ध संगम घोषित करती है और उस धारा की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देती है कि यह

अधिसूचना, किसी ऐसे आदेश के अधीन रहते हुए, जो उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन किया जाएगा, राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगा।

[सं. II/14034/2(iii)/92-आई एस (डी V)]
टी. एन. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th December, 1992

S.O. 900(E).—Whereas Shri Vishnu Hari Dalmia, President of the Vishwa Hindu Parishad, in a meeting held in Delhi on the 8th November, 1992, declared that the Ram Janma Bhoomi temple would be constructed in the same way it was demolished by Babar and that Kar Sewaks were pressurising the leadership that they should be called not to construct the Ram Janma Bhoomi temple but to demolish the Babri Masjid;

And whereas Shri Ashok Singhal, General Secretary of the Vishwa Hindu Parishad, in a public meeting in Bilaspur on the 14th November, 1992, stated that Muslims would be taught the language of force in case they would fail to understand the language of reasoning,

And whereas Smt. Vijaya Raje Scindia, Member of the Governing Council of the Vishwa Hindu Parishad, in a press conference in Patna on the 23rd November, 1992, stated that Kar Sewa would be carried out with full determination, defying all restrictions, if require including even the Court orders. She also averred that the construction of the Ram temple was a matter of faith and it could not be confined to the jurisdiction of the judiciary. She also added that the temple would be constructed at all costs and for which the so-called the Babri Mosque will have to be demolished;

And whereas Acharya Giriraj Kishore, Joint General Secretary of the Vishwa Hindu Parishad, in a press conference in Delhi on the 28th November, 1992, warned that in case legal battle and the politics came in the way of temple renovation at Ayodhya, direct action in respect of all other mosques which were built, after demolition of temple cannot be ruled out:

And whereas the Vishwa Hindu Parishad has been similarly encouraging and aiding its followers to promote or attempt to promote, on grounds of religion, disharmony or feeling of enmity, hatred or ill-will between different communities;

And whereas the followers of the Vishwa Hindu Parishad had participated in the demolition of the structure commonly known as Ram Janam Bhoomi-Babri Masjid, situated in Ayodhya in the State of Uttar Pradesh, on the 6th December, 1992.

And whereas for all or any of the grounds set out in the preceding paragraphs as also on the basis of other facts and materials in its possession which the Central Government considered to be against the public interest to disclose, the Central Government is of the opinion that the Vishwa Hindu Parishad is an unlawful association:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby declares the "Vishwa Hindu Parishad" to be an unlawful association, and directs, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of that section, that this notification shall, subject to any order that may be made under section 4 of the said Act, have effect from the date of its publication in the Official Gazette.

[No. II|14034|2(iii)|92-IS(DV)]
T. N. SRIVASTAVA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर, 1992

का.आ. 901(अ) : —राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (जिसे इसमें इसके पश्चात् आर.एस.एस. कहा गया है) विभिन्न समुदायों के बीच असौहार्द अथवा शत्रुता, घृणा या विद्वेष की भावनाएं धर्म के आधारों पर, संप्रवर्तित करने या संप्रवर्तित करने का प्रयत्न करने के लिए अपने अनुयायियों को प्रोत्साहन और उनकी सहायता करता रहा है;

और आर.एस.एस. ऐसे लाछन लगाता रहा है और प्राख्यान करता रहा है कि कतिपय धार्मिक समुदायों के सदस्यों का विदेशी धर्म है और इसलिए उन्हें भारत का राष्ट्रिक नहीं माना जा सकता जिसके द्वारा ऐसे सदस्यों और अन्य व्यक्तियों के बीच असौहार्द अथवा शत्रुता या घृणा या विद्वेष की भावना उत्पन्न होती है और उत्पन्न होने की संभावना है;

और आर.एस.एस. स्वयं सेवकों ने 6 दिसम्बर, 1992 को उत्तर प्रदेश राज्य में अयोध्या में स्थित उस ढांचे के जो सामान्य तया राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद के नाम से जाना जाता है, विध्वंस में भाग लिया था;

और केन्द्रीय सरकार का पूर्ववर्ती पैराओं में वर्णित सभी या किन्हीं आधारों पर और अन्य सभी तथ्यों और अपने कब्जे में की ऐसी सामग्री के आधार पर जिसे केन्द्रीय सरकार प्रकट करना लोकहित के विरुद्ध समझती है, यह राय है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ एक विधिविरुद्ध संगम है;

अतः केन्द्रीय सरकार, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए "राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ" को एक विधिविरुद्ध संगम घोषित करती है और उस धारा की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेश देती है कि यह अधिसूचना, किसी ऐसे आदेश के अधीन रहते हुए, जो उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन किया जाएगा, राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगा।

[सं. II/14034/2(iv)/92-आईएस (डी V)]
टी.एन. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th December, 1992

S.O. 901(E).—Whereas the Rashtriya Swayamsewak Sangh (hereinafter referred to as RSS) has been encouraging and aiding its followers to promote or attempt to promote, on grounds of religion, dis-

harmony or feelings of enmity, hatred or ill-will between different religious communities;

And whereas the RSS has been making imputations and assertions that members of certain religious communities have alien religions and cannot, therefore, be considered nationals of India, thereby causing and likely to cause disharmony or feeling of enmity or hatred or ill-will between such members and other persons,

And whereas the RSS Swayamsewaks had participated in the demolition of the structure commonly known as Ram Janma Bhoomi-Babri Masjid, situated in Ayodhya in the State of Uttar Pradesh, on the 6th December, 1992;

And whereas for all or any of the grounds set out in the preceding paragraphs, as also on the basis of other facts and materials in its possession which the Central Government considers to be against the public interest to disclose, the Central Government is of the opinion that the Rashtriya Swayamsewak Sangh is an unlawful association:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby declares the "Rashtriya Swayamsewak Sangh" to be an unlawful association, and direc's, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of that section, that this notification shall, subject to any order that may be made under section 4 of the said Act, have effect from the date of its publication in the Official Gazette.

[No II|14034|2(iv)|92-IS(DV)]
T.N. SRIVASTAVA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर, 1992

का.आ. 902(अ) :—बजरंग दल विभिन्न समुदायों के बीच असौहार्द अथवा शत्रुता, घृणा या विद्वेष की भावनाएं धर्म के आधारों पर संप्रवर्तित करने या संप्रवर्तित करने का प्रयत्न करने के लिए अपने अनुयायियों को प्रोत्साहित और उनकी सहायता करता रहा है,

और बजरंग दल अभ्यास, कवायद या अन्य क्रियाकलापों का इस आशय से कि ऐसे क्रियाकलापों में भाग लेने वाले व्यक्ति अन्य धार्मिक समुदायों के विरुद्ध आपराधिक बल या हिंसा का प्रयोग करेंगे या यह संभाव्य जानते हुए कि ऐसे क्रियाकलाप में भाग लेने वाले व्यक्ति अन्य धार्मिक समुदायों के विरुद्ध आपराधिक बल या हिंसा का प्रयोग करेंगे, संचालित करता रहा है;

और बजरंग दल के सदस्यों ने 6 दिसम्बर, 1992 को उत्तर-प्रदेश राज्य में अयोध्या में स्थित उस ढांचे के, जो सामान्यतया राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद के नाम से जाना जाता है, विध्वंस में भाग लिया था;

और केन्द्रीय सरकार को पूर्ववर्ती पैराओं में वर्णित सभी या किन्हीं आधारों पर और अन्य सभी तथ्यों और अपने कब्जे में की सामग्री के आधार पर, जिसे केन्द्रीय सरकार प्रकट करना लोकहित के विरुद्ध समझती है यह राय है कि बजरंग दल एक विधिविरुद्ध संगम है,

अतः केन्द्रीय सरकार, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए "बजरंग दल" को एक विधिविरुद्ध संगम घोषित करती है और उस धारा की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि यह अधिसूचना, किसी ऐसे आदेश के अधीन रहते हुए, जो उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन किया जाएगा, राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगा।

[सं. II/14034/2(v)/92-आई एस (डी V)]
टी. एन. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th December, 1992

S.O. 902(E).—Whereas the Bajrang Dal has been encouraging and aiding its followers to promote or attempt to promote on grounds of religion, disharmony or feelings of enmity, hatred or ill-will between different religious communities;

And whereas the Bajrang Dal has been organising exercises, drills or other similar activity intending that the participants in such activities shall use criminal force or violence or knowing it to be likely that the participants in such activity will use criminal force or violence against other religious communities;

And whereas the members of the Bajrang Dal had participated in the demolition of the structure commonly known as Ram Janma Bhoomi-Babri Masjid, situated in Ayodhya in the State of Uttar Pradesh, on the 6th December, 1992;

And whereas for all or any of the grounds set out in the preceding paragraphs, as also on the basis of other facts and materials in its possession which the Central Government considers to be against the public interest to disclose, the Central Government is of the opinion that the Bajrang Dal is an unlawful association:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby declares the "Bajrang Dal" to be an unlawful association, and directs, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of that section, that this notification shall, subject to any order that may be made under section 4 of the said Act, have effect from the date of its publication in the Official Gazette.

[No. II|14034|2(v)|92-IS(DV)]
T. N. SRIVASTAVA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1992